"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 486] रायपुर, बुधवार, दिनांक 10 सितम्बर 2014—भाद्र 19, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-5/2013/1-7.— इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-05-2013 द्वारा जिला बस्तर के दरभा थानान्तर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में घटित नक्सली घटना की जांच हेतु न्यायिक जांच के लिये माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय बिलासपुर की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया हैं. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30-07-2013 तथा 20-02-2014 द्वारा आयोग के कार्यकाल में समयवृद्धि की गई है, जो दिनांक 27-08-2014 को समाप्त हो गई है.

2. चूंकि, जांच आयोग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 28-08-2014 से दिनांक 27-02-2015 तक 6 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.